R 1007-PBR/13 भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
8—5—15	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । अनावेदक कं. 1 की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित, स्वतः मेमो पर उपस्थित । अना. कमांक 2 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एन. त्यागी उपस्थित । उन्हें निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने, ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें आवश्यक पक्षकार स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया गया है । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क0 1 द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदक को पक्षकार न बनाए जाने के आधार पर अपर कलेक्टर ने निरस्त की । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक ने निगरानी पेश की जिसमें अनावेदकों को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया । आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 151 सी.पी.सी. के तहत आवेदन पेश कर पक्षकार न बनाए जाने के कारण निगरानी अप्रचलनीय होने के कारण निरस्त किए जाने संबंधी आपत्ति पेश की किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आपत्ति का निराकरण किए बिना सीधे अंतिम आदेश पारित किया है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आवेदकों एवं अनावेदक कमांक 1 के विरूद्ध दीवानी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं । माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित याचिका कमांक 30/2012 लंबित है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध स्थगन दिया गया है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी ग्राह्य	8-5-15 8-5-15

शाक्षेमुत्रा—712—फॉर्म्स—29-2-12—5,000 प्रपत्र.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1007–पीबीआर/15 जिला – भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि क हस्ताक्षर
	करने एवं स्थगन दिए जाने का अनुरोध किया गया है । 3/ अनावेदक क. 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो की प्रति दिलाई जाने तथा तर्क हेतु समय दिए जाने का अनुरोध किया गया । उन्हें निगरानी मेमो की प्रतियां दिलाई गईं तत्पश्चात उनके तर्क दिया गया कि आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि में कोई स्वत्व नहीं है, प्रकरण में विवाद आवेदक एवं शासन के मध्य है । इसलिए आवेदकों की पक्षकार बनाने संबंधी आपत्ति निरस्त करने में आयुक्त ने कोई त्रुटि नहीं की है । अनावेदक मृतक भूमिस्वामी स्व. आशारानी का उत्तराधिकारी है । उनके द्वारा आवेदकों की निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया । 4/ अनावेदक क. 2 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आलोच्य आदेश को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि वर्तमान में शासन के नाम पर है व अनावेदक द्वारा ऐसा कोई भी आदेश पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत हो तक अनावेदक कमांक 2 को किसी न्यायालय द्वारा स्व. आशारानी का उत्तराधिकारी घोषित किया गया हो । इस प्रकरण में शासन के हितों का ध्यान रखना उचित प्रतीत होता है । 5/ उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश तथा आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका कमांक 30/2012 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 2–1–12 का अवलोकन किया । प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आवेदक इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है । ऐसी स्थिति में आयुक्त को आवेदकों को पक्षकार मान्य कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करना चाहिए थी किंतु उन्होंने उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश इसी स्तर पर निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ भेजा जाता है कि वे आवेदकों को प्रकरण में पक्षकार के रूप में संयोजित कर व शासन के हितों को ध्यान में रखते हुए उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण का पुनः विधिवत निराकरण करें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । सदस्य	

निगरानी 100J-PBR-15

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

निगरानी प्रकरण क्रमांक ...../2015

1. **राजेश वाधवानी आयु वयस्क**
   आत्मज स्व. श्री बी.जी.वाधवानी
   निवासी सी-321, शाहपुरा, भोपाल।

2. **श्रीमती पुष्पा तिवारी आयु वयस्क**
   स्व. श्री शम्भूलाल तिवारी
   निवासी ई-107, शिवाजी नगर, भोपाल।

3. **श्री संजय पालीवाल आयु वयस्क**
   आत्मज श्री महेन्द्र पालीवाल
   निवासी सीहोर, मध्यप्रदेश,
   द्वारा मुख्तारआम श्रीमती दिशा वाधवानी
   पत्नी श्री राजेश वाधवानी
   निवासी सी-321, शाहपुरा, भोपाल। --00-- **आवेदकगण।**

विरूद्ध

1. **श्यामनाथ शर्मा आयु वयस्क**
   आत्मज श्री एस.एन.शर्मा
   निवासी ई-5/137, अरेरा कॉलोनी,
   भोपाल, मध्यप्रदेश।

2. **मध्यप्रदेश शासन**
   द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय,
   पुराना सचिवालय, भोपाल। --00-- **अनावेदकगण।**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता

आवेदकगण द्वारा वर्तमान निगरानी प्रकरण माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 91/अपील/2012–13 (श्यामनाथ शर्मा विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन) मे पारित आदेश दिनांक 20/04/2015 से व्यथित होकर निम्नलिखित ठोस एवं वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा भूमि खसरा नंबर 103/11, 111/11–अ/1/1/1 कुल भूमि रकबा 0.50 एकड़ ग्राम चूनाभट्टी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जो कि श्रीमती आशारानी शर्मा के स्वानित्व की थी, उसकी मृत्यु उपरांत कोई भी वैध वारिस न होने से उपरोक्त वर्णित भूमि को लावारिस